निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 28/2023
दायरा दिनांकः—29.09.2023
निर्णय दिनांकः— 18.12.24

उनवान

सत्यानारायण आयु 86 वर्ष आत्मज धुलीलाल दत्तक पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवासी तलवण्डी कोटा

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 18.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री हेमराज कुशवाह — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 74 में खसरा संख्या 174 रकबा 0.0379 है०, खसरा संख्या 584 रकबा 0.0126 है०, खसरा संख्या 585 0. 1012 है० तथा खसरा संख्या 67 रकबा 0.0379 है० कुल 4 किता रकबा 0.1896 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 तथा 1/4 दर्ज हैं। तथा खाता संख्या 330 में भूमि खसरा नं0 28 रकबा 12.3555 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/5 तथा 1/35 हिस्सा दर्ज हैं। तथा खाता संख्या 306 में भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 1.1508 है०, खसरा संख्या 53 रकबा 2.2511 हैं०, खसरा संख्या 55 रकबा 0. 9738 हैं०, खसरा संख्या 55/799 रकबा 0.9864 हैं०, खसरा संख्या 583 रकबा 0.2782 है०, खसरा संख्या 588 रकबा 0.2403 हैं०, खसरा संख्या 66 रकबा 0.4553 हैं० तथा खसरा संख्या 696 रकबा 5.1091 हैं० कुल कित 8 कुल रकबा 11.4450 हैक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अवस्थित हैं। प्रार्थी के जैविक पिता का नाम धूलीलाल हैं तथा प्रार्थी को सन् 1948 में उसकी अल्पव्यस्कता के समय हीरालाल ने गोद लेकर, उसे अपना पुत्र बना लिया था तथा हीरालाल का गोद पुत्र होने से प्रार्थी हीरालाल की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों को प्राप्त करने का विधि एक अधिकारी होने से उनकी सारी सम्पत्तियों प्रार्थी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। प्रार्थना पत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी के दत्तक पिता हीरालाल का भी हिस्सा था जो उनकी मृत्यु पश्चात् प्रार्थी को प्राप्त हुआ हैं। उपरोक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

समस्त भूमियां प्रार्थी की पैत्रक भूमियों हैं। जो प्रार्थी को अपने जैविक पिता धूलीलाल तथा दत्तक पिता हीरालाल से प्राप्त हुई। प्रार्थी के दत्तक पिता हीरालाल की मृत्यु पश्चात् उनके हिस्से की भूमियों में प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र हीरालाल दर्ज हो गया है तथा प्रार्थी के जैविक पिता धूलीलाल थे तथा दत्तक पिता हीरालाल थे इसलिये प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र धूलीलाल दत्तक पुत्र हीरालाल दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार का अंकन जमाबंदियों में नहीं होने से प्रार्थी को भूमियों पर बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सहायताएँ भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। प्रार्थना पत्र की चरण क्रमांक 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी के नाम में हुई त्रुटि को ठीक कराकर प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र हीरालाल के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र धूलीलाल दत्तक पुत्र हीरालाल दर्ज कराना चाहता हैं। प्राथी ने उपरोक्त वर्णित आराजियात की जमाबंदियों के अंकन में हुई उपरोक्त त्रुटि को ठीक करने हेतु प्राथी द्वारा अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा को दिनांक 11/08/23 को निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थी से सम्मानीय न्यायालय में कार्यवाही करने की बात कही, अतः सम्मानीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को जमाबंदियों में हुए उपरोक्त वर्णित अंकन का कोई ज्ञान नहीं था तथा दिनांक 10/08/23 को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु जमाबंदियों की नकलें प्राप्त की तो इस तथ्य का ज्ञान हुआ इसलिये इस तिथि को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 74 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 330 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 80 नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 158 नकल नामान्तरण संख्या 51 ग्राम भीलवाडा नीचा फोटो प्रति आधार कार्ड सत्यनारायण मतदाता पहचान पत्र सत्यनारायण पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा में स्थित है। खाता संख्या 74 में प्रार्थी का हिस्सा 1/20 और 1/4 दर्ज है खाता संख्या 330 में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 और 1/35 दर्ज है खाता संख्या 53 में सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम धुलीलाल है धुलीलाल का भाई हीरालाल था उसके कोई सन्तान नही थी। हीरालाल ने प्रार्थी सत्यनारायण को गोद लिया था। प्रार्थी हीरालाल का गोद पुत्र होने से हीरालाल की समस्त चल अचल सम्पत्तियों का उत्तराधिकारी प्रार्थी है। विवादित आराजी में हीरालाल का भी हिस्सा था जो हीरालाल की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी को प्राप्त हुआ। उक्त आराजी पैत्रक आराजी है जो प्रार्थी को अपने पिता धुलीलाल तथा दत्तक पिता हीरालाल से प्राप्त हुई हे प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल एवं सत्यनारायण पुत्र हीरालाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल दत्तक पुत्र हीरालाल दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थी सही नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रिकार्ड जमाबन्दी में सत्यनारायण पुत्र हीरालाल के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल दत्तक पुत्र हीरालाल दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 74 में प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/20 सत्यनारायण पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/4 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 330 में सत्यनारायण पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/5 सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/35 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 306 में सत्यनारायण पुत्र हीरालाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 80 में सत्यनारायण पुत्र हीरालाल एवं सम्वत् 2010–13 खाता संख्या 179 में सत्यनारायण पुत्र हीरालाल दर्ज है सत्यनारायण के पिता व दत्तक पिता के सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम भीलवाडा नीचा के ग्राम वासियों ने बताया कि सत्यनारायण के जैविक पिता धुलीलाल व हीरालाल चाचा थे। हीरालाल के कोई सन्तान नही होने के कारण गोद अल्पायु में ही वादी सत्यनारायण को हीरालाल के द्वारा गोद लिया था। सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जिसमें सत्यनारायण मुतबना हीरालाल हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण सा0देह दर्ज है प्रार्थी का दोनो सम्पत्तियों पर अधिकार नही हो सकता है प्रार्थी द्वारा धुलीलाल की एक मात्र सन्तान होने सम्बन्धी तथ्य नही बताया गया जबकि जमान्दी के अवलोकन से धुलीलाल के अन्य वारिसान भी है धुलीलाल के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रार्थना पत्र धारा 136 में त्रुटि सुधार कर रिकार्ड दुरूस्ती का मामला नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा